न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 74/11 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2011/00054)

1. शिवसिंह
2. नवलसिंह
3. तुलेसिंह
4. लखमीसिंह

पिसरान किरोडीलाल

जाति ठाकुर निवासी ग्राम गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार भरतपुर।
2. जयदो पुत्री नारायन पत्नी मनोहरी जाति गोला ठाकुर निवासी ग्राम गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर दिनांक 31.1.2011

उपस्थितिः–

1. श्री महाराजसिंह डागुर वकील अपीलान्ट।
2. श्री गोविन्दसिंह डागुर वकील रैस्पोडेन्ट।

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय

दिनांकः– 18.7.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 31.1.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट वगैरह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि खसरा नम्बर 649 मिन रकबा 2 बीघा 4 विस्वा वाकै ग्राम गोलपुरा स्व0 किरोडीलाल (प्रार्थीगण के पिता) की आराजी थी जिसका सैटलमेन्ट ने हाल नम्बर 770 रकबा 0.15 है0 दर्ज किया है जो पुराने के मुकाबले 20 ऐयर कम है। अतः खसरा नम्बर 770 रकबा 0.35 है0 के रकबे की कमी पूर्ति कराई जावे। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र के तथ्य पूर्णतया सिद्ध नहीं होने के कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.1.2011 पारित करते हुये प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

18.7.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि स्वीकृत रूप से वर्तमान आराजी खसरा नमबरान 770/0.15, 771/0.20, 769/0.17 साविक खसरा नम्बर 646/2.04 से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये है। जिनमें अपीलार्थीगण के नाम केवल खसरानम्बर 770/0.15 ही दर्ज किया है। गत के अनुसार 771/0.20 भी दर्ज होना चाहिऐ। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटीपूर्ण है। निरस्तनीय है। यह कि उत्तरवादी संख्या 2 के नाम प्रथम दृष्ट्या वर्तमान खसरा नम्बर 771/0.20 पर इन्द्राज खातेदारी गलत है उसके नाम साविक खसरा नम्बर 646/2.04 पर कोई इन्द्राज खातेदारी किसी मात्र नहीं रहे है। फिर उसके हक में कब्जे की धारणा कैसे की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने भू प्रबन्ध के गलत इन्द्राज से उसके हक में कब्जे की धारणा करके भारी त्रुटी की है। यह कि अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत की गई पृविष्टीयों के शुद्धीकरण के लिये है। मिलान क्षेत्रफल एवं साविक जमाबन्दी के इन्द्राजात के विरूद्ध जो इन्द्राज खातेदार उत्तरवादीगण सख्या 2 के नाम कर दी है उन्हें निरस्त करना था, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को नक्शे (पुराने व नये) व कब्जे के स्पष्टीकरण के आधार पर खण्डनीय आदेश देने में भारी भूल की है। यह कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के मसक्ष पूर्ण तथा अपने प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित किया है जिसके रिव्युटल कोई साक्ष्य उत्तरवादी संख्या 2 ने प्रस्तुत नहीं कर सकी है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है जो गंभीर त्रुटी है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल हेतु दिनांक 31.1.2011 को आवेदन किया है जिस पर दिनांक 8.3.2011 को नकल मिली है उसके बाद अपीलान्ट की मां का देहान्त हो गया है इसलिऐ अभी तक अपील नहीं कर सके है इसलिऐ अपीलान्ट अपील पेशक रने में हुई देरी को माफ कराने के अधिकारी है। धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से संलग्न है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर दिनांक 31.1.2011 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभिलेख में संशोधन किया जावे।

18.7.2022

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पों0 ने तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2011 को पारित किया गया है इस आदेश की अपील दिनांक 26.07.2011 को पेश की गई है जो कि विलम्ब से पेश की गई है तथा अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में जो अपीलाधीन निर्णय के जानकारी की तिथि बताई गई है यदि इसको भी आधार माना जाता है तो भी अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाने योग्य है। क्योंकि दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की नकल दिनांक 08.03.2011 को मिलने व उसके बाद अपीलान्ट की मां का देहावसन हो जाने के कारण अपील पेश नहीं कर सकने का हवाला देकर अपील पेश करने में हुई विलम्ब को माफ किये जाने के अनुरोध किया गया है। प्रथम तो अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी निर्णय की दिनांक से ही थी और यदि एक क्षण के लिये यह भी मान लिया जावे कि उन्हें निर्णय की नकल दिनांक 08.03.2011 को प्राप्त हुई तथा उसके बाद उनकी मां की मृत्यु होने के कारण अपील पेश नहीं कर सके तो भी दिनांक 08.03.2011 के पश्चात् लगभग 4 1/2 माह के विलम्ब से पेश की गई है जबकि मियाद के संबंध में प्रत्येक दिन के विलम्ब के लिये पर्याप्त व उचित कारण बताया जाना आवश्यक है। वकील रैस्पों0 ने अपने तर्क के समर्थन में 2014(1)आर.आर.डी. प्रष्ठ संख्या 154 आर.बी.जे. 2009, प्रष्ठ संख्या 289, आर.बी.जे. 2007, प्रष्ठ संख्या 438 आर. बी.जे.2010 प्रष्ठ संख्या 628, आर.बी.जे. 2019 प्रष्ठ संख्या 20 पर उद्धरित निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीरों में 3–4 दिन के विलम्ब को भी पर्याप्त व स्पष्ट कारण के अभाव में कण्डोन नहीं किया गया हैं जबकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा निर्णय के 6 माह बाद अपील पेश की गई है तथा अपील विलम्ब से पेश करने का कोई पर्याप्त व उचित कारण नहीं बताया है अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जावे।

वकील रैस्पों0 ने प्रकरण के गुणावगुण पर भी बहस करते हुए तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में सही तथ्य पेश नहीं किये गये जिसका उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में भी अदालत मातहत द्वारा किया गया है। अपीलान्ट द्वारा साबिक खसरा नंबर 640 से दो नये नं0 770 व 771 बनना बताया है जबकि मिलान क्षेत्र के

आयुक्त
भरतपुर

अनुसार साबिक खसरा नं0 640 से 3 नम्बर 769,770 व 771 बने हैं। अपीलान्ट द्वारा रैस्पों के खातेदारी में स्थित भूमि को स्वयं की खातेदारी में इन्द्राज दुरूस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है जबकि विवादित भूमि रैस्पों0 की खातेदारी में होने के साथ–साथ कब्जेकाश्त में भी है अदालत मातहत ने अपने निर्णय में समस्त तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख किया है इसके अलावा भू–प्रबन्ध संबंधी कार्यवाही समाप्त होने के बाद इस तरह के प्रकरण राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से निर्णित नहीं किये जा सकते हैं वरन् इसके लिए नियमितवाद प्रस्तुत करके ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में वकील रैस्पों ने अदालत मातहत में प्रस्तुत नजीर आर.आर.डी. 1996 पेज 63ए, आर.आर.डी.2008 पेज 34 तथा आर.आर.टी.2009(2)पेज 1018 में उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का भी हवाला दिया जिसके अनुसार भू–प्रबन्ध संबंधी कार्यवाही समाप्त होने के बाद रिकार्ड ऑफ राइट में दुरूस्ती राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 125 व 136 के तहत नहीं करवाई जा सकती व इसके लिए रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा लाकर ही करवाई जा सकती है। भू–प्रबन्ध की कार्यवाही समाप्त होने के बाद लैण्ड रिकार्ड आफीसर द्वारा केवल लिपिकीय त्रुटियों व ऐसी त्रुटियां जिनके बारे में हितबद्ध पक्षकार सहमत हो अथवा किसी राजस्व अधिकारी के निरीक्षण के दौरान जानकारी में आई किसी त्रुटि को विहित तरीके से ही दुरूस्त करने हेतु सक्षम है परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा रैस्पों के खातेदारी में स्थित भूमि को ही स्वयं की खातेदारी में दर्ज कराने का अनुतोष अदालत मातहत से चाहा गया है जो कि उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में धारा 136 के प्रार्थना पत्र के तहत नहीं दिया जा सकता है। अतः गुणावगुण के आधार पर अपीलान्ट के ओर से प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं होने के कारण अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.01.2011 यथावत रखा जावें।

रिव्युटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर विचार करने से पूर्व प्रकरण की मैरिट को देखना चाहिये। इस संबंध में वकील अपीलान्ट ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319 व आर.एल.डब्ल्यू. 2013 पेज 26 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि रैस्पों0 ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि अपीलान्ट के वर्तमान व साविक प्रवष्टि में अंतर है। रैस्पों0 द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनकी खातेदारी में विवादित

संभाग, भरतपुर

भूमि किस प्रकार से दर्ज हुई। चूंकि अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत व अदालत हाजा में यह साबित किया है कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित भूमि को कम कर रैस्पों0 की खातेदारी की भूमि में गलती से दर्ज किया है। इसकी दुरूस्ती राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.01.2011 निरस्त किया जावें।

अपीलान्ट व रैस्पों0 के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली व उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस में वर्णित विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर विचार किया जाना आवश्यक है क्योंकि अपीलाधीन निर्णय अदालत मातहत द्वारा दिनांक 31.01.2011 को पारित किया गया है। इस निर्णय के विरूद्ध अदालत हाजा में अपीलान्ट की ओर से दिनांक 26.07.2011 को अपील पेश की गई है। उक्त अपील मियाद बाहर पेश किये जाने के कारण अदालत हाजा द्वारा दिनांक 26.07.2011 को उक्त अपील सब्जैक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई है। अपीलान्ट की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 08.03.2011 को मिलने व इसके बाद अपीलान्ट की मां का देहावसान हो जाने के कारण अपील विलम्ब से पेश करने का उल्लेख किया है व इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया है यद्यपि उक्त प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का रैस्पों0 द्वारा कोई जबाब व आवंटन शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु अपील को पेश करने में हुये विलम्ब के प्रत्येक दिन का पर्याप्त व उचित कारण बताये जाने का दायित्व अपीलान्ट का है। अपीलान्ट द्वारा स्वयं ने यह माना है कि उसे अपीलाधीन निर्णय की नकल दिनांक 08.03.2011 को प्राप्त हो गई थी, जिसकी पुष्टि अपील के साथ संलग्न निर्णय की प्रमाणित प्रति से भी हो रही है। ऐसी स्थिति में नकल मिलने की नियत समयावधि में अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो कि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं की गई है। जहां तक अपीलान्ट की माताजी का देहान्त हो जाने के कारण अपील विलम्ब से पेश किये जाने का प्रश्न है तो अपीलान्ट ने न तो प्रार्थना पत्र व न ही शपथ पत्र में यह स्पष्ट किया कि अपीलान्ट की माताजी की मृत्यु कब हुई थी तथा माताजी की मृत्यु के बाद होने वाले

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सामाजिक रस्म पूरी करने के बाद अपील पेश क्यों नहीं की गई। मियाद संबंधी बिन्दु पर वकील रैस्पो० द्वारा बहस में वर्णित नजीर आर.आर.टी. 2011(2) पेज 421 आर.बी.जे. 2009, प्रष्ठ संख्या 289, आर.बी.जे. 2007, प्रष्ठ संख्या 438 आर.बी.जे.2010 प्रष्ठ संख्या 628, आर. बी.जे. 2019 प्रष्ठ संख्या 20 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेखनीय है। इन सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने की बजाय अपील संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अपील को पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में पर्याप्त व उचित कारण नहीं बताया गया है जबकि अपील विलम्ब से पेश किये जाने पर उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार विलम्ब के प्रत्येक दिन का पर्याप्त व उचित कारण बताया जाना आवश्यक है जिसका कि उक्त प्रकरण में अभाव है क्योंकि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की नकल दिनांक 08. 03.2011 को प्राप्त हो गई थी इसलिए यह अवधारणा की जावेगी कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.03.2011 को हो गई थी। इसके बाद भी 4 माह 17 दिन के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील पेश की गई है तथा अपील को विलम्ब से पेश करने का जो कारण बताया गया है वह पर्याप्त व उचित प्रतीत नहीं होता है। इस आधार पर प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपील अपीलान्ट मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर